न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड़ (राजस्थान)

निगरानी संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
83/2023 (13/11/23)	18.09.2023 (27.07.2023)	06.03.2024

उनवान

1. महावीर पुत्र स्व0 हरभगत सिंह गुर्जर
2. राम कुमार पुत्र स्व0 हरभगत निवासीयान ग्राम मोहम्मदपुर तहसील बहरोड़ जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़।

..........निगरानीकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर, तहसील बहरोड़ जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ जरिये सरपंच।
2. ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर, तहसील बहरोड़ जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ जरिये सचिव।
3. सन्ती देवी पत्नी स्व0 रामपालसिंह गुर्जर,
4. परिक्षित पुत्र स्व0 रामपालसिंह गुर्जर,
5. महेन्द्र पुत्र स्व0 रामपालसिंह गुर्जर निवासीयान ग्राम मोहम्मदपुर, तहसील बहरोड़ जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड। ....गैरनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 02.12.2010 आज्ञा ग्राम मोहम्मदपुर जिसके द्वारा पट्टा सं0 01 पुस्तक सं0 008 रामपालसिंह पुत्र हरभगत सिंह गुर्जर के पक्ष में जारी किया गया है।

उपस्थितः–

01. श्री पंकज मिश्रा –वकील निगरानीकार
02. श्री योगेश्वर प्रकाश –वकील गैरनिगरानीकार

––:: निर्णय ::–– निर्णय दिनांक : 06.03.2024

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल जिला कलक्टर प्रथम अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 18.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

निगरानीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर तहसील बहरोड जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ के आदेश दिनांक 02.12.2010 जिसके द्वारा आवासीय जायदाद का पट्टा रामपालसिंह पुत्र हरभगत सिंह गुर्जर के पक्ष में जारी किया गया है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानीकार ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन निगरानीकार परिवार सहित ग्राम मोहम्मदपुर में भूखण्ड पैमाईश

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

104.8 X 48.9 फुट कुल रकबा 631 वर्गगज पर पूर्व से रिहायश रखे हुए है व पुख्ता निर्माण बनाए हुए हैं। आवासीय जायदार का पट्टा पूर्व में रामपालसिंह के नाम से ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर द्वारा दिनांक 02.12.2010 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में जारी कर दिया गया। निगरानीकार को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 13.12.2021 को उस समय हुई जब निगरानीकार अपनी आवासीय जायदाद के पट्टे की फाईल ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में प्रस्तुत करने के लिए गये तो पता चला कि निगरानीकार की आवासीय जायदाद बाबत पट्टा पूर्व में दिनांक 02.12.2010 को रामपालसिंह के हक में जारी किया जा चुका है, जिस पर यह निगरानी नेकनियत से पेश की है। उक्त आवासीय जायदाद पर अर्सादराज से निगरानीकार व उनके परिवार रह रहे हैं, जिसका पट्टा रामपालसिंह के पक्ष में गलत रूप जारी किया गया है जिस बाबत ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व मौके व कब्जे की जांच नहीं की गई तथा सरसरी तौर पर प्रशासन गांव के संग अभियान 2010 में पट्टा सं0 01 पुस्तक सं0 008 दिनांक 02.12.2010 को जारी कर दिया गया, जो गलत रूप से जारी किया गया है। रामपालसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके गैरनिगरानीकार सं0 03 ल0 05 विधिक वारिस है जिनको भी इस तथ्य की भली भांति जानकारी है। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.12.2010 व जारी पट्टा अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अनिगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया कि ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर ने दिनांक 02.12.2010 को रामपाल गुर्जर के पक्ष में एक पट्टा जारी किया गया था, जिसका कुल रकबा 631 वर्ग गज है। मृतक रामपालसिंह गुर्जर के द्वारा जिस जगह का पट्टा लेने के लिए आवेदन किया गया था, उसकी जगह पर वादी महावीर व रामकुमार की जगह का पट्टा जारी कर दिया गया था। उक्त पट्टे से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। उक्त पट्टे के मालिक व निगरानीकार दोनों आपस में सगे भाई वहम अप्रार्थी सं0 3 लगायत 5 उसके विधिक वारिस है। हमारा परिवार आज भी साथ रह रहे है, जो कि अपन–अपने जगह पर रिहायशी मकान बना रखे है व हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। उक्त पट्टा गलत बना हुआ है तथा इसे रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के द्वारा रामपाल गुर्जर के पक्ष में दिनांक 02.12.2010 को पट्टा जारी किया था। गैर निगरानीकार ने अपने जवाब में उक्त जारी पट्टे को निरस्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। गैर निगरानीकार ने अपने जवाब में यह भी जाहिर किया कि मृतक रामपालसिंह गुर्जर के द्वारा जिस जगह का पट्टा लेने के लिए आवेदन किया गया था, उसकी जगह पर निगरानीकार महावीर व रामकुमार की जगह का पट्टा जारी कर दिया गया। इस प्रकार उभय पक्षकारान को पट्टा रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के द्वारा रामपाल गुर्जर के पक्ष जारी पट्टा सं0 01 पुस्तक सं0 008 दिनांक 02.12.2010 को निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत रिकॉर्ड वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़
जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़